<u>पश्चिम मध्य रेल</u>

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

कार्यालय
मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक–08.01.2015

सीआई ओ/आईटी सेल/मुख्यालय
<u>पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर</u>

विषय–माह दिसम्बर–2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त, अभियोजन
<u>रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर</u>

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसम्बर –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
दिसम्बर –2015	59	59	86896	86896	77	00	00

बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसम्बर –2015

माह	मामले		संपत्ति की की रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
दिसम्बर –2015	01	01	1000	1000	01	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसम्बर –2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
दिसम्बर –2015	60	60	87896	87896	78	00	00

धारा	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि
137	3260	2075099
138	14983	6880439
139	0	0
141	338	151195
142	0	0
143	1	305145
144	1433	306515
145	1161	127000
146	9	2600
147	522	96800
153	1	0
154	14	84850
155	2287	190420
156	208	20250
157	0	0
159	1044	125390
160	12	5800
161	0	0
162	1125	66000
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	14	1050
172	0	0
173	0	0
174	8	18900
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**26,420**	**1,04,57,453**

रेल अधिनियम के तहत माह दिसंबर–2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

रे.सु.ब./पमरे में माह के दौरान बल सदस्यों द्वारा किये गये अच्छे कार्यो का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र.	मंडल	दिनांक	विवरण
1.	भोपाल	03.12.15	दिनांक 03.12.15 को डीएससीआर/भोपाल की सूचना पर गाड़ी क्रमांक 12721 को इटारसी में उप निरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी साथ आरक्षक चन्द्रमोहन यादव के द्वारा अटेंड किया गया। गाड़ी मे खोजने पर स्कूल की यूनिफार्म पहने हुये लगभग 17 वर्ष की लड़की मिली व उसे लेकर थाने लाये पूछने पर नाम व पता ज्योति कश्यप पुत्री अनिल कश्यप बताया, ज्योति के परिजनों का मोबाईल नं. 9752911120 पर उसकी बड़ी बहन संगीता कश्यप उम्र 24 वर्ष से सम्पर्क कर ज्योति के संबंध में सूचित किया, 2–3 घण्टे बाद उसके परिजन संगीता कश्यप और और उसके मौसी का बेटा रामविलास निसाद पुत्र गोटेलाल निसाद उम्र 20 वर्ष निवासी डबल फाटक के पास होशंगाबाद को इटारसी में उपस्थित होने पर पूछताछ किया ज्योति को समझा कर स्वतंत्र गवाहों के समक्ष परिजनों को सुपुर्द किया ।
2.	भोपाल	03.12.15	सउनि आर.के. बौरासी साथ आरक्षक अमित सिंह व महिला आरक्षक ज्योति यादव, सीसीटीवी के मैसेज के अनुसार एक लड़की जिसका नाम वर्ती तिवारी पुत्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी मं. नं. टी–4 अर्चना होम पटेल नगर। उक्त लड़की अपने मॉ बाप से बिना बताये घर से भाग कर आई थी, जिसे उसकी मॉ प्रमिला को सुपुर्द किया गया।
3.	कोटा	03.12.15	रेलवे बोर्ड द्वारा हेल्पलाईन नंबर के माध्यम से सूचना दी गई कि गाड़ी संख्या 12483 कोचिवैली–अमृतसर एक्सप्रेस के पीछे के सामान्य कोच में घर से लापता एक लडकी नाम–आईसा लिन्था उम्र–17 वर्ष, मोवीन नाम के यात्री के पास है। सूचना मिलने पर दिनॉक 04.12.15 को गाड़ी के समय 03.00 बजे कोटा स्टेशन आने सहायक सुरक्षा आयुक्त, कोटा, उपनिरीक्षक कोटा पोस्ट श्री आर.के.यादव व सउनिरी दीपचंद ,महिला आरक्षक जयश्री सहित गाडी को अटेण्ड किया जिसमे गाडी के पीछे के दूसरे सामान्य कोच में उक्त लड़की पायी गई। एक लडकी नाम आयशा लिन्था पुत्री सिराज ,उम्र 17 वर्ष,निवासी EEyyakkandy(H) Kovoori Medical college(P.O.) Calicut -673008 को कोटा स्टेशन पर उतारा गया। कोटा पोस्ट पर महिला आरक्षक की देखरेख में रखा गया। बाद इसकी सूचना चाईल्ड लाईन कोटा के के सदस्य अजीज मोंहम्मद मोबाइल नं 7737004379 को दिये गई। बाद उक्त लडकी के पारिवारिक परिचित श्रीमति रविथा ए पत्नि श्री रूपेश कुमार सीके. CTA/Engg /DRM Office KOTA Mobile no 9001017279 सूचना पर कोटा पोस्ट पर आई। बाद एस.एस.कोटा श्री अब्दुल करार, जीआरपी कोटा, महिला आरक्षक जयश्री, महिला आरक्षक मोनिका के समक्ष आव यक बालकल्याण समिती कोटा के समक्ष भेजा गया। उक्त लडकी की गुम ादगी के संबंध में थाना सैवायूर ,कालीकट में अपराध क्रमांक 1429/15 धारा चाईल्ड मिसिंग मे दिनांक 03. 12.15 को दर्ज है। श्रीमान जी मामले की अग्रिम कार्यवाही से समय पर आपको अवगत कराया जायेगा। प्रगति से अवगत कराया जावेगा।
4.	कोटा	06.12.15	(कोटा मंडल)– दिनांक 06.12.15 को समय 11.30 बजे करीबन गाडी सं. 12904 स्वर्ण मंदिर मेल एक्सप्रेस हिण्डोन सिटी स्टेशन के आउटर पर जाकर रूकी। गाड़ी के रूकने पर प्लेटफार्म डियूटी पर तैनात आरक्षक अतर सिंह द्वारा गाड़ी को जाकर अटैंड किया गया तो पाया कि लेडीज कोच नं. 077265 में यात्रा कर रही महिला यात्री नाम–जरीना फातिमा पत्नि जसीम उम्र–28 साल जाति–मुसलमान निवासी–देवडा बघोली, जिला–दरभंगा (बिहार) टिकिट नं. 48358333 लुधियाना से मुम्बई के लिये यात्रा कर रही थी जिसे 06 माह का गर्भ था, मिस डिलेवरी होने के कारण सह–यात्रियों द्वारा गाडी रोकी। चूंकि हिण्डोन सिटी स्टेशन पर कोई महिला कर्मचारी उपलब्ध नही होने के कारण आरक्षक अतर सिंह द्वारा तत्परतापूर्वक व सूझबूझ दिखाते हुये तत्काल अपनी पत्नी को लेकर आया व अपनी पत्नी की सहयता से महिला यात्री को प्राईवेट ऑटो हायर कर शासकीय अस्तपातल हिण्डोन ले जाकर भर्ती कराया गया। श्रीमान आरक्षक द्वारा तत्परतापूर्वक व सूझबूझ से समयावधि में महिला यात्री को आवश्यक सहायता प्रदान कर निश्चित की सराहनीय कार्य किया गया है।

5.	कोटा	11.12.15	(कोटा मंडल) दिनॉक 11.12.15 को समय 20.40 बजे सउनि कालीचरण शर्मा को मसुनिकक्ष कोटा द्वारा सूचना मिली की गाडी सं. 12471 स्वराज एक्स. के महिला कोच में एक महिला नाम–शारदा जो स्वरूप नगर दिल्ली में फल बेचने का कार्य करती है, उक्त महिला एक लडकी नाम–अर्चना पुत्री उम्र 16 साल, को गाडी में अपने साथ ले जा रही है। उक्त सूचना पर सउनि कालीचरण ने भवानीमंडी स्टेशन पर उक्त कोच को अटेन्ड कर लडकी को तलाश कर ढूंढा। गाड़ी के कोटा आने पर लडकी को गाड़ी से उतार कर चाईल्ड लाईन कोटा की सदस्य त्रिलोक हिम्मत को सुपुर्द किया गया।
6.	कोटा	15.12.15	दिनांक 15.12.2015 को DSCR/KTT की सूचना पर गाडी सं. 19665 (खजुराहो इन्टरसीटी एक्सप्रेस) को उपनिरीक्षक बब्बन लाल द्वारा अटैण्ड किया गया। ट्रेन गार्ड हरिओम महेश्वरी, (मुख्यालय–आगरा कैन्ट) द्वारा एक गुमसुदा बच्ची को सुपुर्द किया गया, जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर बच्ची ने अपना नाम–राखी सक्सेना पुत्री रमेश सक्सेना उम्र–13 साल बताया तथा बताया कि **"मेरी मम्मी ने मुझे घर से भगा दिया है, इसलिये गुस्से में मैं घर से निकल आयी हूँ"** बाद उपनिरीक्षक द्वारा चाईल्ड हैल्प लाईन नं. 1098 पर फोन द्वारा सूचना देने पर चाईल्ड केयर कोटा के श्री प्रेमराज तथा गुड्डी कुमारी रेसुब पोस्ट कोटा पर उपस्थित हुई। एसएस/भरतपुर व जीआरपी/भरतपुर के समक्ष बच्ची को चाईल्ड हैल्प लाईन को सुपुर्द किया गया। श्रीमानजी उपनिरीक्षक बब्बन लाल द्वारा बच्ची को चाईल्ड हैल्पलाईन को सुपुर्द कर सराहनिय कार्य किया गया।
7.	भोपाल मंडल	21.12.15	दिनांक 21.12.15 को उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह रेसुब भोपाल(रिजर्व) हमराह स्टाफ आरक्षक रामराज सिंह, आरक्षक अमित सिंह, आरक्षक डेविडदीन, आरक्षक देवेन्द्र चक्रवर्ती, आरक्षक अजय सिंह कछवाह को भोपाल स्टेशन पर प्लेटफार्म ड्यूटी के दौरान पर तैनात समय करीबन 18.00 बजे प्लेटफार्म नं. 06 पर एक नाबालिग लडकी संदिग्ध हालत में बैठी थी, पूंछतांछ करने उसके द्वारा कोई संतोष जनक जबाव नही दिया गया। बाद महिला आरक्षक शशि धुर्वे की सहायता से भोपाल पोस्ट लाया गया। बाद धैर्यपूर्वक पूंछतांछ करने पर उसने अपना नाम–मन्ताशा बताया तथा पिता द्वारा डाटने के कारण स्टेशन पर आना बताया। उपनिरी. वीरेन्द्र सिंह द्वारा उसके पिता को फोन पर सूचित करते हुये रेसुब भोपाल पोस्ट पर हाजिर होने हेतु अवगत कराया गया। नाबालिग लडकी के पिता– मो.नशीर के रेसुब पोस्ट पर हाजिर होने पर समक्ष गवाहान उक्त नाबालिग लडकी को उसके पिता को सुपुर्द किया गया। बल सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु उक्त मामलें में सराहनीय कार्य करने वाले बल सदस्यों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा 2000/– रूपये के सामूहिक पुरूस्कार स्वीकृत किया गया है। साथ ही वरि.मंसुआ/भोपाल को इनाम देने हेतु निर्देशित किया गया है।
8.	जबलपुर	27.12.15	दिनांक 27.12.15 को गाड़ी सं. 11061 में आरपीएफ ट्रेन स्कार्टपार्टी प्र.आर. लालजी विश्वकर्मा एवं प्र.आर बी.एस.पाण्डेय द्वारा एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर रोका तथा उससे पूछतॉछ की गयी,पकड़े गये व्यक्ति के पास से 4 मोबाइल बरामद किये गये, जिनकी अनुमानित कीमत 30,000 रूपये है। आरोपी ने अपना नाम अरविन्द कुमार कचेर, पिता स्वं कौशल प्रसाद कचेर, उम्र 26 वर्ष, बताया। आरोपी को जीआरपी सतना के सुपुर्द किया गया एवं जीआरपी सतना द्वारा अपराध क्रमांक 13/15 धारा 41 (1–4) /379 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
9.	कोटा	28.12.15	दिनांक 28.12.2015 को गाडी सख्या 12415 डाउन में स्कार्ट पार्टी कोटा से मथुरा तक प. /धान आरक्षक महेन्द्र सिह सैनी,आरक्षक सुआलाल यादव,आरक्षक राधारमन, आरक्षक विकास कुमार ई कम्पनी कोटा को गगांपुर सिटी स्टेशन के पास जनरल कोच एनआर 143421 मे एक सीट के नीचे दो बैग लावारिस हालत में मिले। उन दो बैग को आरपीएफ/भरतपुर पोस्ट लाया गया। जीआरपी स्टाफ की उपस्थिति मे खोलकर देखने पर एक बैग मे 11.500 किलोग्राम मय बारदाना डोडा चुरा, दूसरे बैग मे 14.00 किलोग्राम तथा एक प्लास्टिक के कट्टै मे 4.500 किलोग्राम डोडा पाउडर कुल वजन 30 किलोग्राम मिला ,जीआरपी भरतपुर द्वारा जप्ती कार्यवाही कर अपने कब्जे मे लिया। जप्ती माल की कीमत–30,000/–ऑकी गई है। अज्ञात के विरूद्व जीआरपी भरतपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2015 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर अनुसंधान मे लिया गया है।

*****

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवंबर -2015	46	46	119213	119213	99	00	00

बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवंबर -2015	02	02	8000	8000	02	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवंबर -2015	48	48	127213	127213	101	00	00

धारा	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि
137	3276	1890063
138	21852	10010591
139	0	0
141	409	97830
142	0	0
143	3	0
144	1235	438360
145	993	118750
146	8	3900
147	394	37900
153	0	0
154	8	28000
155	924	59050
156	247	24400
157	0	0
159	822	131800
160	10	0
161	0	0
162	665	32400
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	17	650
172	0	0
173	0	0
174	19	26500
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**30,882**	**1,29,00,194**

रेल अधिनियम के तहत माह दिसंबर–2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

रे.सु.ब./पमरे में माह के दौरान बल सदस्यों द्वारा किये गये अच्छे कार्यो का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र.	मंडल	दिनांक	विवरण
10.	भोपाल	03.12.15	दिनांक 03.12.15 को डीएससीआर/भोपाल की सूचना पर गाड़ी क्रमांक 12721 को इटारसी में उप निरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी साथ आरक्षक चन्द्रमोहन यादव के द्वारा अटेंड किया गया। गाड़ी मे खोजने पर स्कूल की यूनिफार्म पहने हुये लगभग 17 वर्ष की लड़की मिली व उसे लेकर थाने लाये पूछने पर नाम व पता ज्योति कश्यप पुत्री अनिल कश्यप बताया, ज्योति के परिजनों का मोबाईल नं. 9752911120 पर उसकी बड़ी बहन संगीता कश्यप उम्र 24 वर्ष से सम्पर्क कर ज्योति के संबंध में सूचित किया, 2–3 घण्टे बाद उसके परिजन संगीता कश्यप और और उसके मौसी का बेटा रामविलास निसाद पुत्र गोटेलाल निसाद उम्र 20 वर्ष निवासी डबल फाटक के पास होशंगाबाद को इटारसी में उपस्थित होने पर पूछताछ किया ज्योति को समझा कर स्वतंत्र गवाहों के समक्ष परिजनों को सुपुर्द किया ।
11.	भोपाल	03.12.15	सउनि आर.के. बौरासी साथ आरक्षक अमित सिंह व महिला आरक्षक ज्योति यादव, सीसीटीवी के मैसेज के अनुसार एक लड़की जिसका नाम वर्ती तिवारी पुत्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी मं. नं. टी–4 अर्चना होम पटेल नगर। उक्त लड़की अपने मॉ बाप से बिना बताये घर से भाग कर आई थी, जिसे उसकी मॉ प्रमिला को सुपुर्द किया गया।
12.	कोटा	03.12.15	रेलवे बोर्ड द्वारा हेल्पलाईन नंबर के माध्यम से सूचना दी गई कि गाड़ी संख्या 12483 कोचिवैली–अमृतसर एक्सप्रेस के पीछे के सामान्य कोच में घर से लापता एक लडकी नाम–आईसा लिन्था उम्र–17 वर्ष, मोवीन नाम के यात्री के पास है। सूचना मिलने पर दिनॉक 04.12.15 को गाड़ी के समय 03.00 बजे कोटा स्टेशन आने सहायक सुरक्षा आयुक्त, कोटा, उपनिरीक्षक कोटा पोस्ट श्री आर.के.यादव व सउनिरी दीपचंद ,महिला आरक्षक जयश्री सहित गाडी को अटेण्ड किया जिसमे गाडी के पीछे के दूसरे सामान्य कोच में उक्त लड़की पायी गई। एक लडकी नाम आयशा लिन्था पुत्री सिराज ,उम्र 17 वर्श,निवासी EEyyakkandy(H) Kovoori Medical college(P.O.) Calicut -673008 को कोटा स्टेशन पर उतारा गया। कोटा पोस्ट पर महिला आरक्षक की देखरेख में रखा गया। बाद इसकी सूचना चाईल्ड लाईन कोटा के के सदस्य अजीज मोंहम्मद मोबाइल नं 7737004379 को दिये गई। बाद उक्त लडकी के पारिवारिक परिचित श्रीमति रविथा ए पत्नि श्री रूपेश कुमार सीके. CTA/Engg /DRM Office KOTA Mobile no 9001017279 सूचना पर कोटा पोस्ट पर आई। बाद एस.एस.कोटा श्री अब्दुल करार, जीआरपी कोटा, महिला आरक्षक जयश्री, महिला आरक्षक मोनिका के समक्ष आव यक बालकल्याण समिती कोटा के समक्ष भेजा गया। उक्त लडकी की गुम ादगी के संबंध में थाना सैवायूर ,कालीकट में अपराध क्रमांक 1429/15 धारा चाईल्ड मिसिंग मे दिनांक 03. 12.15 को दर्ज है। श्रीमान जी मामले की अग्रिम कार्यवाही से समय पर आपको अवगत कराया जायेगा। प्रगति से अवगत कराया जावेगा।
13.	कोटा	06.12.15	(कोटा मंडल)– दिनांक 06.12.15 को समय 11.30 बजे करीबन गाडी सं. 12904 स्वर्ण मंदिर मेल एक्सप्रेस हिण्डोन सिटी स्टेशन के आउटर पर जाकर रूकी। गाड़ी के रूकने पर प्लेटफार्म डियूटी पर तैनात आरक्षक अतर सिंह द्वारा गाड़ी को जाकर अटैंड किया गया तो पाया कि लेडीज कोच नं. 077265 में यात्रा कर रही महिला यात्री नाम–जरीना फातिमा पत्नि जसीम उम्र–28 साल जाति–मुसलमान निवासी–देवडा बघोली, जिला–दरभंगा (बिहार) टिकिट नं. 48358333 लुधियाना से मुम्बई के लिये यात्रा कर रही थी जिसे 06 माह का गर्भ था, मिस डिलेवरी होने के कारण सह–यात्रियों द्वारा गाडी रोकी। चूंकि हिण्डोन सिटी स्टेशन पर कोई महिला कर्मचारी उपलब्ध नही होने के कारण आरक्षक अतर सिंह द्वारा तत्परतापूर्वक व सूझबूझ दिखाते हुये तत्काल अपनी पत्नी को लेकर आया व अपनी पत्नी की सहयता से महिला यात्री को प्राईवेट ऑटो हायर कर शासकीय अस्तपातल हिण्डोन ले जाकर भर्ती कराया गया। श्रीमान आरक्षक द्वारा तत्परतापूर्वक व सूझबूझ से समयावधि में महिला यात्री को आवश्यक सहायता प्रदान कर निश्चित की सराहनीय कार्य किया गया है।

14.	कोटा	11.12.15	(कोटा मंडल) दिनॉक 11.12.15 को समय 20.40 बजे सउनि कालीचरण शर्मा को मसुनिकक्ष कोटा द्वारा सूचना मिली की गाडी सं. 12471 स्वराज एक्स. के महिला कोच में एक महिला नाम–शारदा जो स्वरूप नगर दिल्ली में फल बेचने का कार्य करती है, उक्त महिला एक लडकी नाम–अर्चना पुत्री उम्र 16 साल, को गाडी में अपने साथ ले जा रही है। उक्त सूचना पर सउनि कालीचरण ने भवानीमंडी स्टेशन पर उक्त कोच को अटेन्ड कर लडकी को तलाश कर ढूंढा। गाड़ी के कोटा आने पर लडकी को गाड़ी से उतार कर चाईल्ड लाईन कोटा की सदस्य त्रिलोक हिम्मत को सुपुर्द किया गया।
15.	कोटा	15.12.15	दिनांक 15.12.2015 को DSCR/KTT की सूचना पर गाडी सं. 19665 (खजुराहो इन्टरसीटी एक्सप्रेस) को उपनिरीक्षक बब्बन लाल द्वारा अटैण्ड किया गया। ट्रेन गार्ड हरिओम महेश्वरी, (मुख्यालय–आगरा कैन्ट) द्वारा एक गुमसुदा बच्ची को सुपुर्द किया गया, जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर बच्ची ने अपना नाम–राखी सक्सेना पुत्री रमेश सक्सेना उम्र–13 साल बताया तथा बताया कि **"मेरी मम्मी ने मुझे घर से भगा दिया है, इसलिये गुस्से में मैं घर से निकल आयी हूँ"** बाद उपनिरीक्षक द्वारा चाईल्ड हैल्प लाईन नं. 1098 पर फोन द्वारा सूचना देने पर चाईल्ड केयर कोटा के श्री प्रेमराज तथा गुड्डी कुमारी रेसुब पोस्ट कोटा पर उपस्थित हुई। एसएस/भरतपुर व जीआरपी/भरतपुर के समक्ष बच्ची को चाईल्ड हैल्प लाईन को सुपुर्द किया गया। श्रीमानजी उपनिरीक्षक बब्बन लाल द्वारा बच्ची को चाईल्ड हैल्पलाईन को सुपुर्द कर सराहनिय कार्य किया गया।
16.	भोपाल मंडल	21.12.15	दिनांक 21.12.15 को उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह रेसुब भोपाल(रिजर्व) हमराह स्टाफ आरक्षक रामराज सिंह, आरक्षक अमित सिंह, आरक्षक डेविडदीन, आरक्षक देवेन्द्र चक्रवर्ती, आरक्षक अजय सिंह कछवाह को भोपाल स्टेशन पर प्लेटफार्म ड्यूटी के दौरान पर तैनात समय करीबन 18.00 बजे प्लेटफार्म नं. 06 पर एक नाबालिग लडकी संदिग्ध हालत में बैठी थी, पूंछतांछ करने उसके द्वारा कोई संतोष जनक जबाव नही दिया गया। बाद महिला आरक्षक शशि धुर्वे की सहायता से भोपाल पोस्ट लाया गया। बाद धैर्यपूर्वक पूंछतांछ करने पर उसने अपना नाम–मन्ताशा बताया तथा पिता द्वारा डाटने के कारण स्टेशन पर आना बताया। उपनिरी. वीरेन्द्र सिंह द्वारा उसके पिता को फोन पर सूचित करते हुये रेसुब भोपाल पोस्ट पर हाजिर होने हेतु अवगत कराया गया। नाबालिग लडकी के पिता– मो.नशीर के रेसुब पोस्ट पर हाजिर होने पर समक्ष गवाहान उक्त नाबालिग लडकी को उसके पिता को सुपुर्द किया गया। बल सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु उक्त मामलें में सराहनीय कार्य करने वाले बल सदस्यों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा 2000/– रूपये के सामूहिक पुरूस्कार स्वीकृत किया गया है। साथ ही वरि.मंसुआ/भोपाल को इनाम देने हेतु निर्देशित किया गया है।
17.	जबलपुर	27.12.15	दिनांक 27.12.15 को गाड़ी सं. 11061 में आरपीएफ ट्रेन स्कार्टपार्टी प्र.आर. लालजी विश्वकर्मा एवं प्र.आर बी.एस.पाण्डेय द्वारा एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पाये जाने पर रोका तथा उससे पूछतॉछ की गयी,पकड़े गये व्यक्ति के पास से 4 मोबाइल बरामद किये गये, जिनकी अनुमानित कीमत 30,000 रूपये है। आरोपी ने अपना नाम अरविन्द कुमार कचेर, पिता स्वं कौशल प्रसाद कचेर, उम्र 26 वर्ष, बताया। आरोपी को जीआरपी सतना के सुपुर्द किया गया एवं जीआरपी सतना द्वारा अपराध क्रमांक 13/15 धारा 41 (1–4) /379 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
18.	कोटा	28.12.15	दिनांक 28.12.2015 को गाडी सख्या 12415 डाउन में स्कार्ट पार्टी कोटा से मथुरा तक प. धान आरक्षक महेन्द्र सिह सैनी,आरक्षक सुआलाल यादव,आरक्षक राधारमन, आरक्षक विकास कुमार ई कम्पनी कोटा को गगांपुर सिटी स्टेशन के पास जनरल कोच एनआर 143421 मे एक सीट के नीचे दो बैग लावारिस हालत में मिले। उन दो बैग को आरपीएफ/भरतपुर पोस्ट लाया गया। जीआरपी स्टाफ की उपस्थिति मे खोलकर देखने पर एक बैग मे 11.500 किलोग्राम मय बारदाना डोडा चुरा, दूसरे बैग मे 14.00 किलोग्राम तथा एक प्लास्टिक के कट्टै मे 4.500 किलोग्राम डोडा पाउडर कुल वजन 30 किलोग्राम मिला ,जीआरपी भरतपुर द्वारा जप्ती कार्यवाही कर अपने कब्जे मे लिया। जप्ती माल की कीमत–30,000/–ऑकी गई है। अज्ञात के विरूद्व जीआरपी भरतपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2015 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर अनुसंधान मे लिया गया है।

*****